

भारत सरकार और वश्व बैंक में 50 करोड़ डॉलर की अतिरिक्त वित्तीय सहायता हेतु समझौता

चर्चा में क्यों ?

भारत सरकार और वश्व बैंक के बीच प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत ऋण उपलब्ध कराने के लिये एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गए। पीएमजीएसवाई के अंतर्गत ग्रामीण सड़क परियोजना को अतिरिक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिये वश्व बैंक 50 करोड़ डॉलर का ऋण उपलब्ध कराएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वयित इस परियोजना के अंतर्गत 7,000 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई जानी हैं, जसमें से 3,500 किलोमीटर का निर्माण हरित प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से किया जाएगा।

- वश्व बैंक वर्ष 2004 के शुरुआत से ही पीएमजीएसवाई को सहयोग दे रहा है। अभी तक इसके तहत बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मेघालय, राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जैसे आर्थिक रूप से कमजोर और पहाड़ी राज्यों में 180 करोड़ डॉलर के ऋण के माध्यम से निवेश किया जा चुका है।
- इसके अंतर्गत लगभग 35,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण और सुधार किया जा चुका है, जससे लगभग 80 लाख लोगों को फायदा हुआ है।
- इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट (आईबीआरडी) से 50 करोड़ डॉलर के ऋण के साथ 3 वर्ष की अतिरिक्त अवधि (ग्रेस पीरियड) और 10 वर्ष की परिपक्वता अवधि जुड़ी हुई है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana-PMGSY)

- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्राथमिक उद्देश्य हर मौसम के अनुकूल सड़कों का निर्माण कर सम्पर्क स्थापित करना है।
- इस कार्यक्रम के अंतर्गत खेत से बाजार तक सम्पर्क सुनिश्चित करने के लिये उन्नयन-घटक भी हैं, जसमें मौजूदा ग्रामीण सड़कों के बेहतरिकरण का लक्ष्य है।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-II का उद्देश्य मौजूदा चयनित ग्रामीण सड़कों का उन्नयन कर सड़क नेटवर्क को जीवंत बनाने के मापदंड पर आधारित है।
- ग्रामीण अवसंरचना के निर्माण द्वारा निर्धनता निवारण की सम्पूर्ण रणनीति में ग्रामीण-हब एवं वृद्धि-केंद्रों का विकास अत्यंत महत्वपूर्ण है। वृद्धि केंद्र/ग्रामीण-हब बाजार, बैंकिंग एवं अन्य सेवा संबंधी सुविधाएँ मुहैया करवाते हैं जससे स्वरोजगार एवं जीविकोपार्जन के अवसर सृजित होते हैं।
- प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के निर्माण में अपारंपरिक सामग्रियों जैसे- बेकार प्लास्टिक, कोल्ड-मिक्स, फ्लाइ एश, तांबे एवं लोह की धातु इत्यादि का उपयोग किया जा रहा है एवं हरित प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
- प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत तय कुल सड़कों के 15% सड़कों का निर्माण नवीन हरित प्रौद्योगिकी के ज़रिये किया जा रहा है, जैसे बेकार प्लास्टिक, कोल्ड-मिक्स, फ्लाइ एश, तांबे एवं लोह की धातु इत्यादि।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों की गुणवत्ता एवं निर्माण की गति के संबंध में नागरिक शिकायतों के पंजीकरण के लिये "मेरी सड़क" नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत की गई है।

वर्तमान स्थिति: समस्याएँ एवं समाधान

- अतिरिक्त वित्तपोषण से हरित प्रौद्योगिकी और कम कार्बन वाली डिज़ाइन व सड़क निर्माण की जलवायु अनुकूल तकनीकों से निर्माण की प्रौद्योगिकी में व्यापक बदलाव देखने को मिलेगा। अब ज़्यादा ग्रामीण समुदायों की आर्थिक अवसरों और सामाजिक सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित होगी।
- 46 लाख किलोमीटर की मौजूदा सड़क का पर्याप्त रखरखाव भी एक बड़ी चुनौती के तौर पर उभर रहा है। मौजूदा सड़क नेटवर्क के कई हिस्से या तो कमजोर स्थिति में हैं या बाढ़, भारी बारिश, अचानक बादल फटने और भू-स्खलन जैसी घटनाओं से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं।
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था और ग्रामीण आजीविका पर निर्भर समुदायों व परिवारों को सहयोग देने के लिये यह सुनिश्चित करना अहम होगा कि बुनियादी ढाँचे का निर्माण किया जाए और जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए इनका रखरखाव हो।
- इस परियोजना से यह सुनिश्चित होगा कि कैसे ग्रामीण सड़कों की रणनीति और योजना के साथ जलवायु अनुकूल निर्माण को एकीकृत किया जा सकता है।

वश्व बैंक के सहयोग से क्या लाभ प्राप्त होंगे?

- इस अतिरिक्त वित्तपोषण के अंतर्गत पीएमजीएसवाई और बैंक की भागीदारी से महज वित्तपोषण के अलावा हरति तकनीक, कम कार्बन वाली डज़ाइन और नई तकनीकों के इस्तेमाल से हरति और जलवायु अनुकूल नरिमाण के माध्यम से ग्रामीण सड़क नेटवर्क के प्रबंधन पर ज़ोर दिया जाएगा। ऐसा नमिनलखिति उपायों के माध्यम से कथिया जाएगा:
- ◆ बाढ़, जलभराव, बादल फटने, तूफान, भूस्खलन, खराब जल नकिसी, अत्यधिक कटाव, भारी बारशि और ऊँचे तापमान से प्रभावति प्रमुख क्षेत्रों की पहचान के लथि डज़ाइन की प्रक़रथि के दौरान जलवायु जोखमि का आकलन करना।
- ◆ जल की सुगम नकिसी के लथि पर्याप्त जलमार्गों और सबमर्सबिल सड़कों, कंकरीट ब्लॉक पेवमेंट्स के इस्तेमाल, जल नकिसी में सुधार के माध्यम से बाढ़ प्रभावति क्षेत्रों का वशेष रखरखाव।
- ◆ पर्यावरण अनुकूल सड़कों के डज़ाइन और नई तकनीकों के उपयोग, जनिमें टूटे हुए पत्थरों के स्थान पर स्थानीय सामग्री और रेत, स्थानीय मटिटी, फ्लाई ऐश, ब्रकि क्लनि वेस्ट तथा अन्य सामग्रथिों जैसे औद्योगिकि उपोत्पादों का इस्तेमाल कथिया जाता है।
- ◆ सड़कों और पुलों के लथि प्री-फैब्रिकेटेड/प्री-कास्ट यूनिट्स के उपयोग के माध्यम से नवीन पुलों और पुलथिों का नरिमाण, जो भूकंप और पानी के दबाव की स्थति में टकि रहने में सक्षम होते हैं।
- ◆ पहाड़ी इलाकों की सड़कों के नरिमाण में पहाड़ों की कटाई हेतु सामग्री का बेहतर इस्तेमाल सुनिश्चति करने और उनके नसितारण की समस्या का समाधान के लथि जैव अभथिांतरकि उपायों के इस्तेमाल, नकिसी में सुधार और भूस्खलन प्रभावति क्षेत्रों के लथि अन्य उपाय तथा पर्याप्त ढाल सुरक़ा उपलब्ध कराना।
- अतिरिक्त वित्तीय सहायता से नरिमाण और रखरखाव में महिलाओं के लथि रोजगार के अवसर तैयार करके लथि भेद भी कम कथिया जाएगा।
- पछिली परथिोजना में उत्तराखंड, मेघालय और हमिाचल प्रदेश में 200 कलिमीटर पीएमजीएसवाई सड़कों के नथिमति रखरखाव के लथि महिला स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) के माध्यम से समुदाय आधारति रखरखाव अनुबंध की थोजना बनाई गई थी।
- एसएचजी द्वारा नथितरति रखरखाव अनुबंधों को 5 राज्थों की 500 कलिमीटर सड़कों तक बढ़ाया जाएगा।

परथिोजना के सभी भाग जलवायु के लथिाज से खासे लाभकारी और भारत में जीएचजी उत्सर्जन को न्यूनतम करने के लथि सड़क एजेंसथिों के वास्ते मददगार हैं। सड़कों में सुधार से ही वार्षकि तौर पर जीएचजी उत्सर्जन में 26.8 लाख टन की कमी आएगी और सड़क संपदा मूल्य में 9 अरब डॉलर की वार्षकि बचत होगी व वाहन परचालन की ऊँची लागत के रूप में इतनी ही धनराशि की बचत होगी।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/india-world-bank>

